मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 23/07/2020

क्र. एफ 16-02/2020/ए-ग्यारह::राज्य शासन एतद् द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत परिधान क्षेत्र में रूपये 25 करोड से अधिक पूंजी निवेश की विनिर्माण इकाईयों को मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई मान्य करने एवं निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना अंतगत वृहद औद्योगिक परियोजनाओं में विस्तार अंतर्गत न्यूनतम निवेश संशोधन के संदर्भ में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है:-

1. उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2018) की कंडिका 10.2 में संयंत्र और मशीनरी में रू. 25.00 करोड से अधिक निवेश करने वाली कतिपय सेक्टर की औद्योगिक इकाईयों को मेगा स्तर की औद्योगिक इकाईयों के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। उक्त कंडिका की परिभाषा में संयंत्र एवं मशीनरी में रू. 25.00 करोड से अधिक निवेश करने वाली "परिधान निर्माण" इकाईयों को भी शामिल किया जायेगा।

2. उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2018) की कंडिका 16 में निम्नानुसार कंडिका जोडी जाती है:-

"16.8 - वृहद श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण, परिधान निर्माण, जैव प्रौद्योगिकी, हर्बल व लघु वनोपज और आईटी क्षेत्र की मेगा स्तर की औद्योगिक इकाईयों को विस्तार अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ लेने हेतु संयंत्र और मशीनरी में न्यूनतम पूंजी निवेश रूपये 05.00 करोड़ करने पर निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ की पात्रता होगी।"

उक्तानुसार कंडिका शामिल होने पर उद्योग संवर्धन नीति द्वारा दिनांक एफ 16-18/2017/ए-ग्यारह दिनांक 17/01/2018 से जारी आदेश की कण्डिका 2.3 के प्रथम पैरा को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

कंडिका क्र.	पूर्व प्रावधान	प्रतिस्थापित प्रावधान
2.3	विद्यमान वृहद औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार /डायवर्सिफिकेशन से तात्पर्य है, इकाई द्वारा विद्यमान उत्पाद की क्षमता विस्तार अथवा नवीन उत्पाद के निर्माण हेतु पूर्व में संयंत्र एवं मशीनरी में किये निवेश का 30 प्रतिशत (न्यूनतम रूपये 10.00 करोड़) अथवा रूपये 50.00 करोड़ जो भी कम हो का यंत्र एवं संयंत्र में नवीन निवेश किया गया हो ।	विद्यमान वृहद औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार /डायवर्सिफिकेशन से तात्पर्य है, इकाई द्वारा विद्यमान उत्पाद की क्षमता विस्तार अथवा नवीन उत्पाद के निर्माण हेतु पूर्व में संयंत्र एवं मशीनरी में किये निवेश का 30 प्रतिशत (न्यूनतम रूपये 10.00 करोड **किन्तु खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रोद्योगिकी, हर्बल व लघु वनोपज, आईटी एवं गारमेंट सेक्टर (परिधान क्षेत्र) हेतु न्यूनतम रू. 5.00 करोड)** अथवा रूपये 50.00 करोड़ जो भी कम हो का यंत्र एवं संयंत्र में नवीन निवेश किया गया हो ।

3. उद्योग संवर्धन नीति, 2014 एवं मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 हेतु जारी आदेश एफ 16-18/2017/ए-ग्यारह दिनांक 17/01/2018 में उक्त आशय के संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से लागू किया जाये तथा साथ ही स्पष्ट किया जाये कि उपरोक्त आदेश केवल ऐसी परियोजनाओं के लिए लागू होंगे जिनमें वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक इस आदेश के जारी होने के दिनांक के बाद प्रारम्भ किया गया हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्र. एफ 16 -02/2020/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 23/07/2020

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, ऊर्जा विभाग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग